INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP07802338930257S**
Certificate Issued Date	:	29-Jun-2020 04:30 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPBOBBK0209516153525747S
Purchased by	:	SANJAY KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	FLAT NO AR/C-13/404/2BHK C2/4 FLOOR,ARAVALI ENCLAVE,SECTOR 12,VRINDAVAN YOJNA-3,LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	45,15,242 (Forty Five Lakh FifteenThousand Two Hundred And Forty Two only)
First Party	:	U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	SANJAY KUMAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	SANJAY KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,18,500 (Three Lakh Eighteen Thousand Five Hundred only)

Please write or type below this line

Self Attested
4/1/2021

0004950983

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as

11675/20

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP07802338930257S
Certificate Issued Date	:	29-Jun-2020 04:30 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPBOBBK0209516153525747S
Purchased by	:	SANJAY KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	FLAT NO AR/C-13/404/2BHK C2/4 FLOOR,ARAVALI ENCLAVE,SECTOR 12,VRINDAVAN YOJNA-3,LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	45,15,242 (Forty Five Lakh FifteenThousand Two Hundred And Forty Two only)
First Party	:	U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	SANJAY KUMAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	SANJAY KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,18,500 (Three Lakh Eighteen Thousand Five Hundred only)

Please write or type below this line

Self Attested

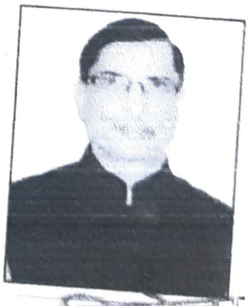

क्रेता

विक्रेता

0004950983

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ISO 9001

ISO 9001:2000

आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना लखनऊ

संख्या 1136O /सं०प्र० वृन्दावन योजना दिनांक 10/7/2020

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह
पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह
निवासी बी–3, जजेज कालोनी, सदर बाजार, झांसी।

विषय :–अरावली एन्क्लेव 2BHK-C2 का फ्लैट संख्या– AR/C-13/404 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में अरावली एन्क्लेव 2BHK-C2 का फ्लैट संख्या AR/C-13/404 का विक्रय विलेख रू0 3,18,500.00 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

पृ०सं० /उक्त/ तद् दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सब रजिस्ट्रार, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक ई0के0 रोड, मेरठ।

self Attested
4/1/2022

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह निवासी बी–3, जजेज कालोनी, सदर बाजार, झांसी	
					विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।	
					मनीष श्रीवास्तव S/o सुरेन्द्र श्रीवास्तव	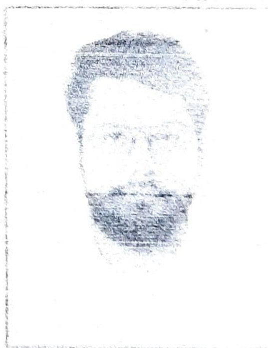
					शक्ति सिंह योजना सहायक उ0प्र0 आवास एवं वि...	

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संजय कुमार सिंह
Sanjay Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 26/09/1976
पुरुष / MALE

[illegible]

आयकर विभाग | भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT | GOVT. OF INDIA

SINGH SANJAY

THAKUR PRASAD SINGH

26/09/1976

Permanent Account Number

[illegible]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

[illegible]

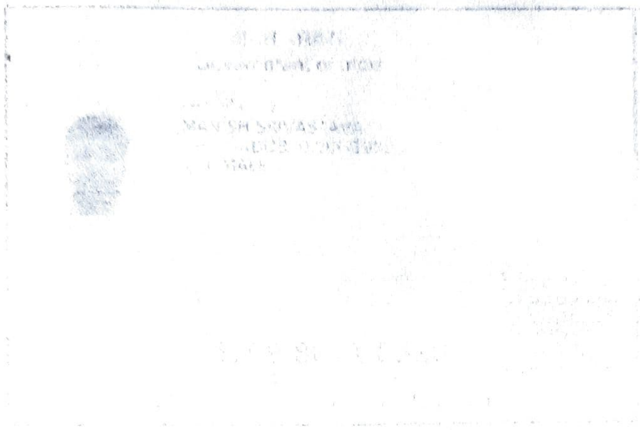

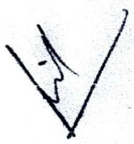

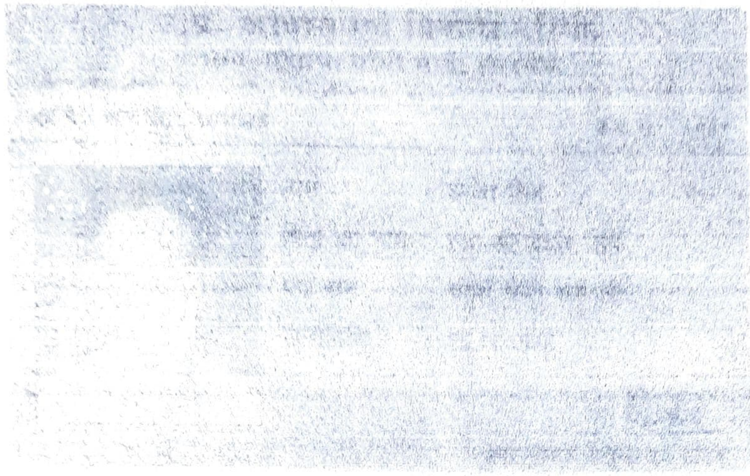

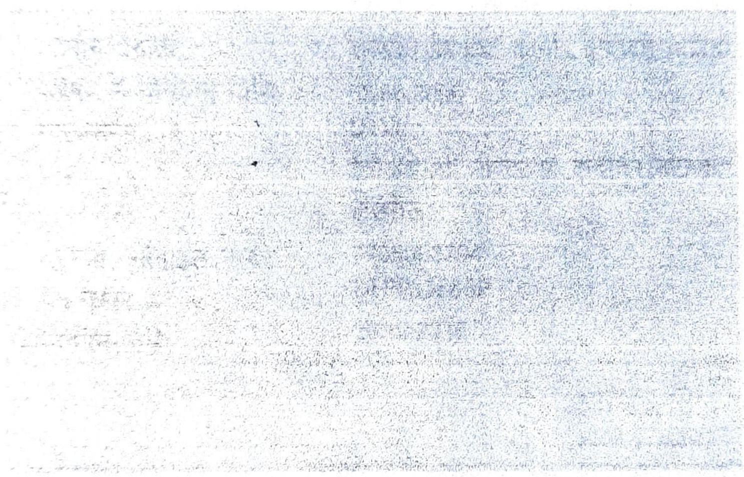

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 10 माह 07 वर्ष 2020 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और **श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह निवासी बी–3, जजेज कालोनी, सदर बाजार, झांसी** जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है किः–

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मुहल्ले के सेक्टर–12 में निर्मित अरावली एन्क्लेव 2BHK-C2 का फ्लैट संख्या–AR/C-13/404 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने **रू0** 45,15,242.00 **(रू0 पैतालिस लाख पन्द्रह हजार दो सौ बैयालिस मात्र) जिसका आधा रू0** 22,57,621.00 **(रू0 बाईस लाख सत्तावन हजार छः सौ इक्कीस मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या–AR/C-13/404) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है।

अतएव **रू0** 45,15,242.00 **(रू0 पैतालिस लाख पन्द्रह हजार दो सौ बैयालिस मात्र)** की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतदद्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात फ्लैट सख्या–AR/C-13/404 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती हैः–

1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2) एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

क्रमशः 02 पर

Sanjay

Self attested
Sanjay
4/1/2022

क्रेता   विक्रेता

3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।

4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

5) यदि इच्छुक क्रेता एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/फ्लैटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति **(संख्या–AR/C-13/404)** पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

क्रमशः 03 पर

Self attested on 4/1/2020

क्रेता विक्रेता

9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति **संख्या–AR/C-13/404** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

11) क्रेता को फ्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू0 1911.00 प्रति माह **"अनुरक्षण मद"** में जमा करना होगा। अरावली एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख–रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिर्वाय होगा।

12) सुपर एरिया पर **1.50** प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख–रेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रख–रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। सीढ़ियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक्र, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्ट्म का रख–रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाऍ आदि शामिल होगी।

13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय–विलेख निषादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

क्रमशः 04 पर

self attested

क्रेता

विक्रेता

15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

16) क्रेता द्वारा विद्युत विभाग लखनऊ में निर्धारित जमा धनराशि एवं कनेक्शन चार्जे जमा करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वंय के व्यय से लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे अरावली एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव, सीवर, नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।

18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।

19) क्लब, ओपेन एरिया पार्किग आदि कामन एरिया उ0प्र0 अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट–2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।

20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारो दिवारों से लगे हुये फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।

21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

23) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची–क में है।

क्रमशः 05 पर

Sajay

Self attested
4/11/20

क्रेता

विक्रेता

अनुसूचित "क"

विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण

वार्डः– इब्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ

प्रतिफल की धनराशि (रूपये में)
मूल्य रू0 45,15,242.00
स्टाम्प पेपर रू0 3,18,500.00

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू0 45,15,242.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रू0 29,385.00 कुल रू0 45,44,627.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोटः–(1) अतः शासनादेश सं0 वि0 क0 नि **5-2756/11-2008-500(115)-2007** दिनांक **30.06.2008** एवं शासनादेश सं0 **772**/स्टाम्प–लिपिक–**2015** दिनांक 15–12–2015 के अन्तर्गत **7%** की दर से ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र नं0 **IN-UP07802338930257S** दिनांक **29.06.2020** रू0 3,18,500.00 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोटः–(2) आवंटित फ्लैट सं0 AR/C-13/404 का जो निर्गत पत्र संख्या–**602** दिनांक 27/01/2020 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, आदेश संख्या–13/संख्या–क0नि0 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मोहल्ले के
सेक्टर–12 में निर्मित अरावली एन्क्लेव का फ्लैट संख्या–AR/C-13/404
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1	भूमि का प्रकार	:	फ्लैट्स
2	मोहल्ला/ग्राम	:	इब्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ
3	ब्लाक	:	C-13
4	प्रकार	:	2BHK-C2
5	सम्पत्ति का विवरण	:	फ्लैट्स सं0 AR/C-13/404
6	फ्लैट का तल	:	4 Floor
7	फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल	:	100.83 वर्ग मीटर
8	फ्लैट का सुपर एरिया	:	118.42 वर्ग मीटर
9	फ्लैट का प्रकार	:	आवासीय फ्लैट्स
10	कुल क्षेत्रफल	:	118.42 वर्ग मीटर
11	कुल निर्मित क्षेत्रफल	:	100.83 वर्ग मीटर
12	स्टेट्स फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड/अन्य	:	फिनिश्ड
13	प्रतिफल की धनराशि	:	45,44,627.00
14	मूल्य	:	45,15,242.00
15	बाउन्ड्री आफ दा फ्लैट संख्या	:	उत्तर AR/C-13/403 दक्षिण Open to Sky पूर्व Tower No. 14 पश्चिम AR/C-13/401

क्रमशः 06 पर

Sanjay
Self Attested
Sd/-
4/1/2020

क्रेता विक्रेता

आवेदन सं०: 202001041016782

विक्रय पत्र

बही स०: 1 | **रजिस्ट्रेशन स०: 11675** | **वर्ष: 2020**

प्रतिफल- 4544627 स्टाम्प शुल्क- 318500 बाजारी मूल्य - 4515242 पंजीकरण शुल्क - 45450 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 45510

श्री संजय कुमार सिंह ,
पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: बी-3 जजेज कालोनी, सदर बाज़ार झाँसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/07/2020 एवं 02:27:59 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
10/07/2020

ओम प्रताप सिंह
निबंधक लिपिक

आवेदन सं०: 202001041016783

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 11675 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ के द्वारा केशव देव शर्मा, संपत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना लखनऊ
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्तिथि और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं हैं और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता: 1

श्री संजय कुमार सिंह, पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह

निवासी: बी-3 जजेज कालोनी, सदर बाज़ार झांसी

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनीष श्रीवास्तव, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निवासी: म०नं०-38 शर्मा सिटी, तकरोही सेक्टर-11 इन्दिरा नगर, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री शक्ति सिंह, योजना सहायक

निवासी: उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

ओम प्रताप सिंह
निबंधक लिपिक

अनुसूची ख

जिसके साक्ष्य में श्री ... उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से और उसकी ओर से श्री संजय कुमार सिंह ... के लेन ... स्वीकार के रूप में स्वेच्छा और समझते हुए किसी प्रकार का ... के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये

क्रेता के हस्ताक्षर

परिषद की ओर से एवं उसके लिए
सम्पत्ति अधिकारी

1. साक्षी ह०

नाम- Manish Srivastava

पता- H 301 Sharma Cly, Takrohi, Indira Nagar Lucknow

1. साक्षी- ह०

नाम:

पता:

2. साक्षी ह० सुरेन्द्र कुमार

नाम- सुरेन्द्र कुमार

पता- ...

2. साक्षी ह०

नाम:

पता:

प्रोफार्मा ...
अपर आवास एवं विकास ...
लखनऊ

00:2005

SEVOTTAM

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER C. U. - 3, U.P. AWAS EVAM VIKAS PARISHAD, VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW

IS 15700:2005

SEVOTTAM

TE PLAN OF (2 BHK C1 & C2 TYPE) ARAVALI ENCLAVE, BLOCK-D, SECTOR-12 , VRINDAVAN YOJNA No.-3, LUCKNOW

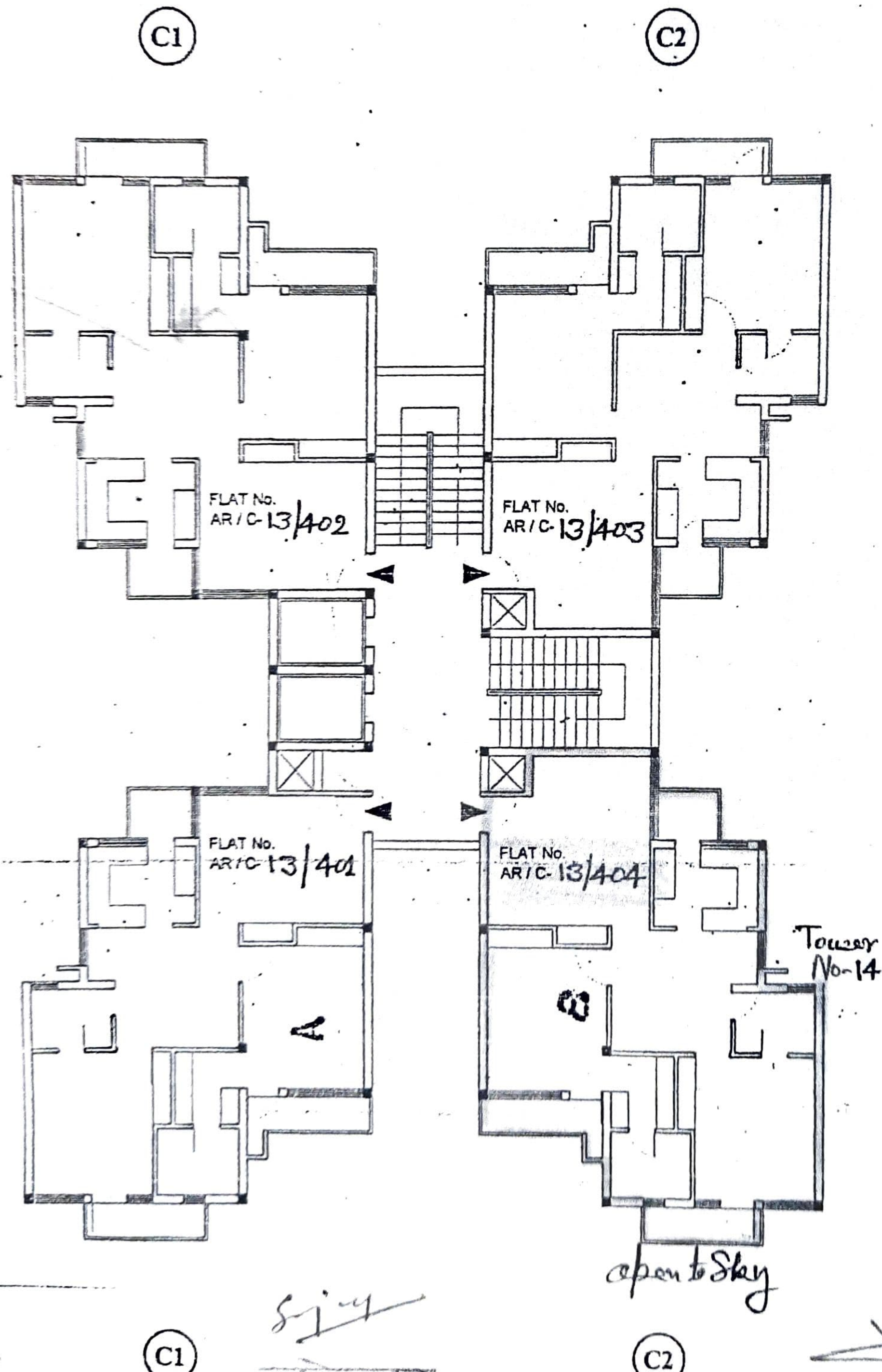

SITE PLAN ONLY FOR REGISTRY

ALLOTMENT LETTER No. :-

NAME OF ALLOTEE:

SRI./SMT./ KM. :-..

FLAT No. AR/C-13/404

FLOOR :- IVth FLOOR PLAN

SUPER AREA :-118.42 SQMT.

BUILDUP AREA :-100.83 SQMT.

CARPET AREA :-75.71 SQMT.

NORTH :- C-13/403

SOUTH :- open to Sky

EAST :- Tower No-14

WEST :- C-13/401

N, S, E, W

D/ MAN

J. E.

07/07/

A. E.

आवेदन सं०: 202001041016782

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4353 के पृष्ठ 21 से 36 तक क्रमांक 11675 पर दिनाँक 10/07/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
10/07/2020